न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 109 / 2025 दायर दिनाँक 28.03.2025

वादी

1. बजरंगलाल पुत्र पीथाराम उर्फ रामपाल जाति खाती निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. डालूराम पुत्र निम्बाराम
2. पेमाराम पुत्र निम्बाराम
3. मेवाराम पुत्र निम्बाराम
4. रामनिवास पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
5. रूकमा देवी पुत्री सिणगारी पत्नी लिछमणराम जाति जाट निवासी कोलिया हाल बाकलिया तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन
6. सुवा देवी पुत्री सिणगारी पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासी बाकलिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
7. तीजु देवी पुत्री सिणगारी पत्नी बेगाराम जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
8. प्रभुराम पुत्र इमरताराम जाति खाति निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
9. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.,

उपस्थित:–

1. श्री अजीत सिंह राठोड़ वकील वादी।
2. श्री वी.पी. सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 16.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, वाके सरहद कोलिया वर्तमान खसरा संख्या 193 रकबा 1.9900 है. जिसके गत खसरा नम्बर 113 व 172 थे तथा वर्तमान खसरा नम्बर 311 रकबा 2.0900 है. जिसके गत खसरा नम्बर 106 व 292 थे, जो भूमि वादी के दादा इमरताराम बेटा लादूराम के कब्जे काश्त व खातेदारी का था। वादी बजरंगलाल के पिता रामपाल उर्फ पीथाराम बेटा इमरताराम ने गत खसरा नम्बर 235 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा व गत खसरा नम्बर 113 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा का बैचाण दिनांक 14.04.1964 को किया। मगर उक्त [illegible] गत खसरा नम्बर 113 की भूमि सहवन से उक्त बैचाण में गत [illegible] भूमि सहवन से उक्त बैचाण में लिख दिया तथ बैचाण में भी [illegible] खसरा नम्बर [illegible] के पडोस उक्त बैचाण में अगुणा में दौंलाराम ब्राहम्ण, अगुणा [illegible] हनुमानाराम [illegible]ती,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:28:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिखणाद में किशनसिंह राजपूत लिखे, जो पडौस सही है जिससे स्पष्ट है कि वादी के पिता ने खसरा नम्बर 106 का ही बैचाण किया न कि खसरा नम्बर 113 का बैचाण किया। गत खसरा नम्बर 113 के पडौस अगुण में बंकट जी, आथुण में पूरणमल, उत्तराद में गिगाराम व दिखणाद में पूरणमल है। जबकि वास्तव में वादी का कभी भी वर्तमान खसरा नम्बर 193 रकबा 1.9900 है. भूमि पर आज भी कब्जा काश्त है। वर्तमान खसरा नम्बर 193 जिसके गत खसरा नम्बर 172 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम है, मगर काश्त वादी व प्रतिवादी संख्या 8 की है इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 311 जिसके गत खसरा नम्बर 292 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के नाम है जबकि कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की है। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान खसरा नम्बर 193 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 8 प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 8 का आज भी कब्जा काश्त वर्तमान खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 1.9900 है. पर है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की कब्जा खातेदारी आज भी वर्तमान खसरा नम्बर 311 रकबा 2.0900 है. भूमि पर है। मगर राजस्व रेकर्ड में गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 वादी व प्रतिवादी संख्या 8 की कमजोरी का फायदा उठाकर बैचाण, हस्तान्तरण आदि करने की धमकी दे रहे है। इसलिए वादी को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है। दोनों खसरा का रकबा व किस्म भी समान है। ज्यादावा विशेष अन्तर नही है, इसलिए भी उक्त वाद विनिमय हेतु प्रस्तुत है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

शरहद कोलिया के खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 1.9900 है. की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के नाम राजस्व रेकर्ड में घोषित की जावें तथा खसरा नम्बर 311 रकबा 2.0900 है. की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के राजस्व रेकर्ड में घोषित की जावें तो वादी को कोई आपत्ति नहीं है। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वादी के हिस्से में न स्वयं दखल करें न ही अन्य अपने एजेन्ट या प्रतिनिधि आदि से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता वी.पी.सिंह ने इकबालिया जवाब पेश किया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस बताया कि बैचाण दिनांक 14.04.1964 में गत खसरा संख्या 106 के स्थान 113 का सहवन से गलत अंकन हुआ है जबकि उक्त बैचाण में पडौस भी खसरा संख्या 106 के अनुसार अंकित किये है अर्थात् बैचाण खसरा नम्बर 106 का किया है। इसी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। अतः खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 1.9900 है. की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के नाम राजस्व रेकर्ड में घोषित की जावें तथा खसरा नम्बर 311 रकबा 2.0900 है. की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के राजस्व रेकर्ड में घोषित की जावें। दौराने बहस वकील प्रतिवादी द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया एवं सहमति जाहिर की।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वाद का मुख्य बिन्दु गत खसरा संख्या 106 के स्थान पर खसरा संख्या 113 के गलत अंकत होने का है जिसके पडौस खसरा संख्या 106 के अनुसार होने के कथन को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है एवं शरहद कोलिया के खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 1.9900 है. की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के नाम राजस्व रेकर्ड में घोषित की जावें तथा खसरा नम्बर 311 रकबा 2.0900 है. की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:28:16 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के राजस्व रेकर्ड में घोषित किये जाने का है जिस पर उभय पक्षकारान् सहमत है। अतः वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश :—

सरहद कोलिया के खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 1.9900 है. की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के नाम तथा खसरा नम्बर 311 रकबा 2.0900 है. की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 16.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:28:16 IST
Reason: SelfAttested